<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल</u>

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/35835/2018/ 1242 भोपाल, दिनांक 20-3-2020

प्रति,

उप वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई–5,
रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **Diversion of 19.00 ha Forest land for extraction of open cast ining of Pyrophilite/diaspore in compartment No. RF-262, Forest Range-Jatara in favour of M/s Khajuraho Minerals Private Limited in Tikamgarh District of Madhya Pradesh.**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPC-027/2019-BHO/696, दिनांक 21.06.2019

----0----

इस प्रस्ताव पर आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. प्रस्ताव में चाही गई वन भूमि का वैधानिक स्वरूप आरक्षित वन का है। इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव भेजते समय लिखे गये पत्र में इसे त्रुटिवश संरक्षित वन अंकित कर दिया गया था। वास्तविक रूप से यह क्षेत्र आरक्षित वन में आता है।

2. प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन के लिये आवेदित वन क्षेत्र को SOI की शीट पर दर्शा दिया गया है तथा संलग्न है। प्रस्तावित वन क्षेत्र का Geo Referenced Map भी संलग्न है।

3. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में चाही गई 19.00 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किस–किस कार्यों के लिये किया जाना है, को भाग–1 में दर्शा दिया है।

4. प्रस्ताव में उल्लेखित वन क्षेत्र का घनत्व वास्तव में 0.4 है। वनमण्डलाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में भी घनत्व 0.4 अंकित है। भाग–2 में घनत्व में संशोधन कर दिया गया है।

5. इस संबंध में आवेदक संस्था ने यह लेख किया है कि प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में यह खनिज उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रस्तावित स्थल का चयन किया गया है।

6. प्रभावित वन भूमि के लिये वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् कार्यवाही वर्ष 2014 में ही पूर्ण की जा चुकी है तथा जिलाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र को उनके द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में जारी प्रमाण पत्र मान्य योग्य है।

7. क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्राप्त गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय रोपण योजना तैयार कर भाग–2 में अपलोड कर दी गई है। इस वृक्षारोपण योजना की एक प्रति संलग्न है।

8. आवेदक संस्था द्वारा चाही गई वन भूमि की KML फाइल सुधारकर भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।

9. आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई 19.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि की संशोधित KML फाइल सुधार कर भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।

10. क्षतिपूर्ति वनीकरण में कुल १३५00 पौधे रोपित किए जाना है। क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में इन 19000 पौधों में से जितने पौधे रोपित नहीं हो सकेंगे उन्हें बिगड़े वनों में रोपित किया जायेगा।

प्रस्ताव में भाग–1 तथा भाग–2 की सत्यापित प्रतियां तथा अन्य अभिलेख संलग्न प्रस्तुत है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक सहमति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

20/3/2020

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

F:\COI.doc